न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 233 / 2023

अमनदीप कौर पत्नी श्री सुखवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी – वार्ड नं. 9, केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

..... वादीया

बनाम

गुरतेज सिंह, गुरपेज सिंह } पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी– साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

हरमीत सिंह, कुलदीप सिंह } पुत्र श्री हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

कौर उर्फ जसप्रीत कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर सिंह पत्नी जगदेव जाति जटसिख निवासी 16–17 एच घनजातिया तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर ।

तीर्थपाल कौर उर्फ राजप्रीत कौर पुत्री बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर सिंह पत्नी गुरप्रीत सिंह जाति जटसिख निवासी चक कल्याण, वान्दर जाटाना, फरीदकोट (पंजाब)

7. मेंजर सिंह पुत्र श्री बलविन्द्र सिंह उर्फ बिन्दर सिंह जाति जटसिख निवासी लोंगोपती, बरीहरी उर्फ हरीके कला, मुक्तसर (पंजाब)
8. मनजीत कौर पत्नी इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
9. जगजीत सिंह पुत्र श्री इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
10. नवदीप सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
11. जसवीर कौर पत्नी अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील जिला श्रीगंगानगर ।
12. सुखदेव सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह जाति जटसिख निवासी साहिबसिंहवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर ।
14. पंजाब एन्ड सिंध बैंक शाखा केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।
15. पंजाब नैशनल बैंक, शाखा 15 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता	वादी
2. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड़ अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 12
3. श्री विक्रम गोदारा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 14
4. श्री सतीश मुंडेजा अधिवक्ता	प्रतिवादी संख्या 15
5. पैरोकार राज श्रीगंगानगर	प्रतिवादी संख्या 13

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

(अनवान अमनदीप कौर बनाम गुरतेज सिंह
राजस्व वाद संख्या :– 233 / 2023)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

–:: निर्णय ::–.

दिनांक :– 19.06.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से है कि आराजी चक 24 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या नया 36 पुराना 27 मुरब्बा नं. 14, 30, 31, 33 की कुल आराजी 8.2250 हैक्टेयर नहरी भूमि वादीया व प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सा मुताबिक दर्ज है परन्तु विभाजन नहीं हुआ है। वादीया के वर्तमान में कब्जा काश्त में वाके खाता संख्या नया 36 पुराना 27 मुरब्बा नं. 14,30,31,33 की कुल आराजी 8.2250 हैक्टेयर नहरी भूमि में से मुरब्बा नं. 33 में हिस्सा 1518 / 8225 यानि किला नं. 1 ता 5 मय रास्ता किला नं. 6 में 10 बिस्वा एवं किला नं. 7 सालम कुल 6 बीघा नहरी कृषि भूमि कब्जा काश्त व जमाबंदी में दर्ज रिकोर्ड है । वादीया का कब्जा काश्त वाद पत्र में अकित चरण संख्या 3 के अनुसार है पानी की पर्ची व लगान भी वादीया वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार उसके कब्जा काश्त में चला आ रहा है और उक्त विभाजन वादीया को जरिये बैयनामा खरीद के अनुसार कब्जा व हिस्सा मिला हुआ है जिस पर वादीया वर्तमान में उक्त किलाजात पर वादीया का कब्जा लगातार व शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादीया ने प्रतिवादीगण से इस सम्बन्ध में कई बार सम्पर्क किया और निवेदन किया कि वर्तमान जमाबंदी में वादीया व प्रतिवादीगण का हिस्सा अंकित है परन्तु विभाजन नही हुआ है उसको विधि अनुसार विभाजन करके प्रत्येक खातेदार अपने विभाजन के अनुसार खातेदार होने के पश्चात् बैंक से लोन लेने तथा पानी की पर्ची, मामला, गिरदावरी आदि में सुविधा रहेगी क्योंकि उक्त मुश्तरका खाता की भूमि है और खाता बहुत बड़ा है परन्तु कल दिनांक 15.10.2023 को विभाजन कराने से वे कतई इन्कार हो गये इसलिए बिनाए दावा वादीया को दिनांक 15.10. 2023 से वाद पेश करने का वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। वाद सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। वाद उचित है। न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है । वादीया द्वारा वाद पत्र निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया :–

(क) यह कि वादीया के हक में वाद पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित चुक 24 जैड आराजी वाके खाता संख्या नया 36 पुराना 27, मुरब्बा नं. 14, 30, 31 33 की कुल आराजी 8.2250 हैक्टेयर नहरी भूमि में से मुरब्बा नं. 33 में हिस्सा 1518/8225 यानि किला नं. 1 ता 5 मय रास्ता, नं. 6 में 10 बिस्वा एवं किला नं. 7 सालम कुल 6 बीघा नहरी कृषि भूमि की विभाजन डिक्री पारित की जावे व वादीया के नाम से उक्त भूमि की अलग से जमाबंदी बनाई जावे, मामला लगान व पानी की पर्ची व रास्ता, खाल आदि अलग से तय किये जावे तथा अन्य काश्तकारो को उनके हिस्से के मुताबिक विभाजन किया जावे।

(ख) खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो वादीया के पक्ष में हो, प्रदान किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] को जरिए सम्मन तलब किया गया। **प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की तल**[illegible] **होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के न्यायालय में उपस्थि**[illegible] **के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।**

प्रतिवादी संख्या 12 द्वा[illegible] **पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार** वादी द्वारा वाद पत्र में निम्न उल्लेखि[illegible] किया कि आराजी वाके चक 24 जैड खाता संख्या नया 36 पुराना 27, मुरब्बा नं. 14, 30, [illegible], 33 की कुल आराजी 8.2250 हैक्टेयर नहरी भूमि में से मुरब्बा नं. 33 में हिस्सा 1518/8225 यानि किला नं. 1 ता 5 मय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता किला नं. 6 में 10 बिस्वा एवंकिला नं. 7 सालम कुल 6 बीघा नहरी कृषि भूमि कब्जा काश्त के अनुसार वादीया ने उक्त वाद में डिकी चाही है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 12 के अलावा सभी के खिलाफ एक पक्षीय हो चुका है । परन्तु प्रतिवादी संख्या 12 के खिलाफ़ वाद पत्र में एक तरफा आदेश पारित नही किया गया है इसलिए प्रतिवादी संख्या 12 अब जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश कर रहा है मुताबिक वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 12 के पास वाके चक 24 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 33 के किला नं.1 में 2 बिस्वा किला नं. 8 में 18 बिस्वा, किला नं. 9 सालम तथा किला नं. 10 सालम कुल 3 बीघा कृषि भूमि की डिकी चाही है। वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के मध्य आपसी विभाजन में किसी प्रकार का कोई विवाद नही है परन्तु वर्तमान में प्रतिवादी, वादिया को किला नं. 8 में 2 बिस्वा तथा इसकी एवज में प्रतिवादी संख्या 12 किला नं. 1 1 मे 2 बिस्वा वादिया से लेना चाहता है इस प्रकार वादिया व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाई जावे । वादिया के हक में वाके चक चक 24 जैड खाता संख्या नया 36 पुराना 27, मुरब्बा नं. 14, 30, 31, 33 की कुल आराजी 8.2250 हैक्टेयर नहरी भूमि में से मुरब्बा नं. 33 में हिस्सा 1518/8225 में वादिया का किला नं. 1 में 18 बिस्वा, किला नं. 2 ता 5 मय रास्ता, किला नं. 6 आधा, किला नं. 7 सालम, किला नं. 8 में 2 बिस्वा कुल 6 बीघा के विभाजन की डिकी वादिया के पक्ष में जारी की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 12 के जवाब दावा व काउन्टर क्लेम के अनुसार निम्न प्रकार से डिकी जारी की जावे। चक 24 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. 1 में 2 बिस्वा, किला नं. 8 में 18 बिस्वा, किला नं. 9 सालम तथा किला नं. 10 सालम कुल 3 बीघा कृषि भूमि के विभाजन की डिकी प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में पारित की जावे। वाद पत्र में अन्य प्रतिवादीगण उपस्थित नही हुए है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है इसलिए वादिया व प्रतिवादी के मध्य किसी भी प्रतिवादी को, वादी व प्रतिवादी के मध्य चाही की गई डिकी के मुताबिक कोई एतराज नही है और इस डिकी में किसी भी प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। लिहाजा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर अर्ज है कि वादिया व प्रतिवादी संख्या 12 के मध्य चाहे गये अनुतोष के अनुसार विभाजन की डिकी पारित की जावे ।

प्रतिवादी संख्या 14 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादी बैंक को पक्षकार बनाया गया है क्योकि उक्त वाद में प्रश्नगत सम्पति प्रतिवादीगण के पास ऋण पेटे रहन है, उक्त ऋण राशि प्रतिवादी बैंक विधिक रूप से प्राप्त करने का अधिकारी है। कोई सम्पति बैंक में बंधक है तो उस संबंध में विधिक रूप से प्रथम अधिकार बैंक को प्राप्त है ऐसी अवस्था में उक्त प्रश्नगत सम्पति के संबंध में कोई भी आदेश न्यायालय द्वारा किये जाने से पूर्व उद्यमी द्वारा बैंक का ऋण राशि चुकता की जानी आवश्यक है उक्त प्रकरण में भी प्रश्नगत सम्पति प्रतिवादी बैंक में रहन है व ऋण राशि ऋणदाता अदा करने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी है प्रतिवादी बैंक प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है प्रतिवादी गुरमीत सिंह व सुखदीप सिंह के द्वारा प्रतिवादी बैंक से अपने संयुक्त खाता की कृषि भूमि में से अपने हिस्से की भूमि पर रहन लिया गया था जो कि आज तक प्रतिवादीगण द्वारा चुकता नहीं किया गया है इसलिए उक्त दावा में प्रतिवादी बैंक के विधिक अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए । प्रतिवादी बैंक का ऋण अदा किया जाकर प्रश्नगत सम्पति ऋण मुक्त करवाई जानी है ऐसी स्थित में प्रतिवादी बैंक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि उक्त पत्रावली अंतिम निर्णय पारित किया जाने से पूर्व प्रतिवादी बैंक की ऋण राशि अदा किये जाने व एन ओ सी प्राप्त की जानी आवश्यक है। इसलिए न्यायहित में ऋण [illegible] होने से पूर्व अंतिम निर्णय पारित ना किया जावे। अतः प्रतिवादी बैंक जवाब प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि उक्त वाद में अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व प्रश्नगत सम्पति के ऋण राशि जमा करवाने व ऋण राशि पूर्णतः जमा करवाकर एन ओ सी प्राप्त करने के आदेश दिये जाकर उक्त पत्रावली का निर्णय किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 15 द्वारा जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वाद पत्र की चरण संख्या 26 में वर्णित भूमि 8.225 हैक्टेयर वादी व प्रतिवादीगण के नाम से होना

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार है। उक्त भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 मनजीत कौर, प्रतिवादी सं. 9 जगजीत सिंह, प्रतिवादी सं. 10 नवदीप सिंह व प्रतिवादी सं. 11 जसवीर कौर द्वारा अपने–अपने हिस्से की कृषिभूमि पर प्रतिवादी सं. 15 पंजाब नैशनल बैंक शाखा 15 जैड में बंधक रखकर केसीसी ऋण प्राप्त किया हुआ है एवं उक्त वर्णित कृषिभूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 15 बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है।यह कि वाद पत्र की चरण संख्या – 5 के तथ्यों के उतर में निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 8 से 11 द्वारा उतरदाता/प्रतिवादी सं. 15 बैंक से अपने अपने हिस्सा की कृषिभूमि पर केसीसी ऋण प्राप्त किया हुआ है एवं प्रतिवादीगण द्वारा अपने अपने हिस्से की कृषि भूमि के सम्बन्ध में बैंक में शपथ पत्र दिये हुए है, इसलिए उतरदाता/प्रतिवादी सं. 15 बैंक का ऋण चुकता किया जाकर ही कृषिभूमि के विभाजन का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा । अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 8 ता 11 द्वारा उतरदाता/प्रतिवादी सं. 15 बैंक से प्राप्त किये गये ऋण को चुकता किया जाकर ही कृषिभूमि के विभाजन का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा, इसलिए वाद में किसी भी प्रकार का आदेश पारित करते समय बैंक के अधिकार सुरक्षित रखने की कृपा करें ।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार वादी द्वारा उक्त शीर्षक का वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजी जो वादी के कब्जे में है डिकी का अनुतोष चाहा । इसके पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के अलावा अन्य पक्षकारो के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी है अब वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के मध्य राजीनामें के आधार पर विभाजन की डिकी पारित की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 14, 15 के अधिकारों पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। इसके बावजूद वादी व प्रतिवादी संख्या 12 के मध्य निम्न प्रकार से वाद में वर्णित आराजी व काउन्टर क्लेम के अनुसार निम्न प्रकार से राजीनामें के आधार पर डिकी पारित की जावे ।

(क) वादिया के हक में वाके चक चक 24 जैड खाता संख्या नया 36 पुराना 27, मुरब्बा नं. 14,30,31,33 की कुल आराजी 8.2250 हैक्टेयर नहरी भूमि में से मुरब्बा नं. 33 में हिस्सा 1518/8225 में वादिया का किला नं. 1 में 16 बिस्वा, किला नं. 1 ता 5 मय रास्ता, किला नं.6 में 10 बिस्वा, किला नं.7 सालम, किला नं. 8 में 2 बिस्वा कुल 6 बीघा के विभाजन की डिकी वादिया के पक्ष में जारी की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 12 के जवांब दावा व काउन्टर क्लेम के अनुसार निम्न प्रकार से डिकी जारी की जावे। चक 24 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 33 के किला नं. में 2 बिस्वा, किला नं. 8 में 18 बिस्वा, किला नं. 9 सालम तथा किला नं. 10 सालम कुल 3 बीघा कृषि भूमि के विभाजन की डिकी प्रतिवादी संख्या 12 के पक्ष में पारित की जावे ।

लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 12. का चाहा गया अनुतोष के आधार पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर डिकी किया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा स्टेट जवाब पेश किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दोराने बहस निवेदन किया गया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 12 के द्वारा प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। तहसीलदार श्रीगंगानगर के द्वारा स्टेट जवा[illegible] जा चुका है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से वादी एवम् प्रतिवादी सं[illegible] 12 [illegible]मि का विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय दस्तावेजात [illegible] संवत 2073–2076 चक 24 जैड, पटवार हल्का सा[illegible] जैड़, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 36/27 का अवलोकन किया गया। मुता[illegible] जवाबंदी वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाता की भूमि है। वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 12 [illegible]ना खाता विभाजन करवाने के अधिकारी हैं। अतः वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार योग्य पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

।। आदेश ।।

अतः वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश कमांक–रा.म./न्याय/स्था./प–51/2008/विविध/ 10546 दिनांक 05.10.2020 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए जमाबंदी सम्वत 2073–2076 चक 24 जैड, पटवार हल्का साहिबसिंहवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र. 18 जैड़, तहसील श्रीगंगानगर खाता संख्या 36/27 कृषि भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 12 की भूमि का हिस्सा एवं कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पेशी 12.07.2024 से पूर्व पेश करे। वाद व्यय पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। यथा प्राथमिक डिक्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित हो।

प्राथमिक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 19.06.2024 को जारी किया गया।

19/6/24
(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.10 11:08:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner